सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 03/2020 दिनांक 06.02.2020

O/o CE (EITC)
Receipt No. 240
Date 15 MAY 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.....
Section ....

श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी
एच.आई.जी.–1/679
सेक्टर–29 अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)
पिन– 492002

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 14/08/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 03/2020 दिनांक 06.02.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी, रायपुर के द्वारा आवेदन दिनांक 09.12.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, होल्डिंग कंपनी से निम्न जानकारी चाही गई है :–

Attested Photo copy of Complete case file of Smt. Alpana Sharat Tiwari for change in allocation of her company from CSPGCL to CSPDCL,

(3) अपील सूचना पत्र क्रमांक 10 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई दिनांक 04.03.2020 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(4) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) उपस्थित हुए। अतएव प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(5) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer)) द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा **Complete case file of Smt. Alpana Sharat Tiwari for change**

llocation of her company from CSPGCL to CSPDCL के संबंध में जानकारी/दस्तावेज ही गई है। उक्त जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक (होल्डिंग कंपनी) के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतएव जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। उक्ताशय के वस्तुस्थिति से आवेदक श्री बाजपेयी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 53 दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से अवगत करायी गई है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी श्री बाजपेयी का अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वह संतुष्ठ नही है।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) का तर्क कि आवेदक द्वारा कंड़िका 2/–टीप में वांछित जानकारी व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी है, जिसका संबंध लोक कियाकलाप व लोकहित से नही है। धारा 8 (1)–(ञ) में निहित तथ्यों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है।

किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है और जिसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविधि या लोकहित का संबंध नही है या जो व्यक्तिगत गोपनीयता, एकान्तता पर अनपेक्षित आक्रमण करते है, उसे देने के लिए सूचना अधिकारी बाध्य नही है। किसी भी व्यक्ति के निजी जानकारी अपरिचित या संबंधहीन व्यक्ति को नही दी जा सकती है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था एवं व्यक्ति विशेष को क्षति पहुॅच सकती है। यद्यपि कार्यालयीन कार्यवाहियों के इस तरह के अभिलेख जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी समाहित है को प्रकट करने से व्यक्ति विशेष की एकान्तता प्रभावित होने की संभावना है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही तर्कसंगत है। कंड़िका 2/–टीप में चाही गई जानकारी जिसमें व्यक्ति विशेष की जानकारी सम्मलित है, जिसे प्रकट नही किया जा सकता है। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि जानकारी के प्रकटन से किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुॅचता है तो उक्त जानकारी को प्रकट नही किया जा सकता है।

Civil Appeal No. 22/2009 Canara Bank Vs C.S.Shyam Kumar & Another के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 में कार्यरत कर्मचारी के व्यक्तिगत विवरण जैसे कार्य पर उपस्थिति दिनांक/पदनाम/पदोन्नति के विवरण/स्थानांतरण से संबंधित इत्यादि जानकारी को व्यक्तिगत जानकारी/सूचना मानते हुए प्रकटन से मुक्त रखा गया है।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। दिनांक 03.05.2020 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में 30 से 50% तक होने से दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण संबंधी कार्य प्रभावित हुए है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय–सीमा में नही की जा सकी है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत कंड़िका 05/—टीप में कृत कार्यवाही एवं कंड़िका 06/—टीप दिये गये तर्क नियमानुसार स्वीकार योग्य है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 03/2020 दिनांक 06.02.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

14/5/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

क्रमांक :— 01—02/अपील प्रकरण —03/2020/19 रायपुर, दिनांक 14/05/2020

प्रतिलिपि :—

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी एच.आई.जी.—1/679 सेक्टर—29, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) पिन— 492002 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर —उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला— रायपुर (छ.ग.)
पिन — 492002
दूरभाष— 0771—2512106, 2512108

14/5/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर — 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in